

आज दिनांक 21 जुलाई, 2011 को अपराह्न 5.00 बजे से आऊट प्लान समिति की बैठक श्रीमती मनन्दी आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया-

- 1- श्री हरजीलाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 2- श्री वसुदेव मालावत, उपायुक्त-पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 3- श्रीमती अजरा उपायुक्त-पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 4- श्री एनके बसल, उपायुक्त-दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 5- श्री अरुण उपाध्याय, निदेशक-आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

1- पैराडाईज विला के ले-आऊट प्लान व तदनुसार निर्माण के संबंध में प्रस्तुत आपत्तिकावत-

प्रकरण में एयर कम्प्लेयर ने पूर्व पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 2010 का सदर्थ देते हुए पत्र दिनांक 01 जुलाई, 2011 में आपत्ति प्रस्तुत की है कि उक्त योजनान्तर्गत एयरपोर्ट रोड की 100 मीटर परिधि में एवे बम-उम से 900 मीटर परिधि में निर्माण कार्य एवं अन्य गतिविधियां की जा रही है एवं केश गेट की भी बन्द कर दिया है जो एयरकाफ्ट एक्ट 1934 के तहत जारी अधिसूचना वर्ष 2007 का उल्लंघन है, अतः इस बाबत तत्काल कार्यवाही की जावे। इसी प्रकार पन्नावली में हुए निर्माणानुसार प्रकरण में गैर मुम्किन बाला व नाले की भूमि का स्वरूप गंभीर रखने की दृष्टि से भी ले-आऊट प्लान की समीक्षा की जानी है। अतः उक्तानुसार समीक्षा हेतु प्रकरण प्रस्तुत हुआ। प्रकरण बाबत अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पैराडाईज विला की ओर से श्री सुरेश गांधी एवं एयरफोर्स की ओर से श्री पी.एस. धानिया, विंग कमाण्डर उपस्थित हुए।

एयरफोर्स अधिकारियों ने उक्तानुसार आपत्ति की कि 100 मीटर एवं 900 मीटर परिधि में एयरकाफ्ट एक्ट 1934 की धारा 9 व तदनुसार जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी, 2007 के अनुसार कोई निर्माण, वृक्षारोपण एवं मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित है। उनका यह भी कथन है कि उक्त अधिसूचना के अनुसार उक्त परिधि में आने वाली भूमि पर स्वामी का भोग अधिकार (Right to enjoyment) सीमित हो गया है। अब उक्त परिधि में आने वाली भूमि को टॉन, गार्डन, खेल मैदान आदि के रूप में भी उपयोग में नहीं लिया जा सकता। साथ ही उन्होंने गोक पर उक्त परिधि में आने वाली भूमि पर हो रहे/हुए निर्माण के फाटा धरा किए एवं अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने एवं भावी गतिविधियों पर रोक लगाये जाने हेतु निवेदन किया। वायुसेना के प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि ऐसे प्रकरणों में स्थानीय एयर कम्प्लेयर की अनुशंसा पर रक्षा विभाग, भारत सरकार ही अनुमति/अनापत्ति दे सकता है। प्रकरण में ऐसी कोई अनापत्ति नहीं ली गई है।


इसके विपरित श्री गांधी द्वारा तर्क दिया गया कि उक्त प्रकरण में रक्षा विभाग के अधिकारियों (DFO) की मौजूदगी में जेडीए व राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा नापकर 100 मीटर व 900 मीटर की परिधि नक्शे में अंकित की गई है और उन्हीं के अनुसार ही दिनांक 3 दिसम्बर, 2010 को ले-आऊट प्लान अनुमोदित हुआ है जिसमें उक्त भूमि का No construction (Open area) के रूप में दिखाया गया है। उक्त क्षेत्र में कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। योजना का प्रवेशद्वार अधिसूचना जारी होने के पहले से ही बना हुआ है एवं केश गेट के सामने अथे निर्माण को हटाने के लिए बह सहमत है। गांधी ने यह भी बताया कि जिन भूमियों की जिस गैर मुम्किन बाला व नाला है वे अनुमोदित प्लान में शामिल नहीं है। इसके विपरित एयरफोर्स अधिकारियों का तर्क था कि रक्षा सचयवा अधिकारी कोई नाप कराने या अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सहमत नहीं है। अतः उक्त नाप काकोई महत्व नहीं है।

20/07/2011

प्रकरण में विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि 100 मीटर व 900 मीटर परिधि का वार्षिक निर्धारण करने के लिए पुनः पैमाइश करायी जावे। संबंधित पक्षों ने दिनांक 5 अगस्त, 2011 को इस बाबत पैमाइश कराने बाबत सहमति प्रकट की। पैमाइश के दौरान तहसीलदार, जोधपुर, अधिशाषी अभियन्ता-पूर्व प्राधिकरण, तहसीलदार प्राधिकरण, वायुसेना अधिकारी (एयर कमांडोर द्वारा मनानीत) व कॉलोनाईजर के प्रतिनिधि रहेंगे। उक्त पैमाइश दल उक्त परिधि का निर्माण कर मौके पर पुख्ता मुटाम भी लगायेंगे ताकि उस भूमि को किसी रूप में उपयोग से प्रतिबंधित किया जा सके। यह पैमाइश टीम गैर मुमकिन बाला व नाले की भूमि का भी अंकन करेगी। उक्त पैमाइश टीम द्वारा की गई पैमाइश, लगाए गए मुटाम आदि का मौका नक्शा बनाकर दिनांक 11 अगस्त, 2011 को आयोजित होने वाली ले-आऊट प्लान समिति में रखा जाएगा साथ ही रक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी, 2007 के अनुसार इस 100 मीटर व 900 मीटर की भूमि को कोई भी भोग अधिकार / निर्माण / पौधा / कचरा संग्रहण / पौधारोपण हेतु उपयोग में नहीं किया जाएगा एवं मौके की रिपोर्ट अनुसार ले-आऊट प्लान में यदि संशोधन की आवश्यकता हुई तो दिनांक 11 अगस्त, 2011 को ले-आऊट प्लान समिति में रखा जाकर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

2- ऊर्जा विहार -

प्रकरण के संबंध में बैठक में अवगत कराया गया कि इस भूमि को 90-बी की कार्यवाही वर्ष 2004 में कर दी गयी थी एवं इसमें कुल 212 भूखण्डधारी थे। पत्रावली में उपलब्ध ले-आऊट प्लान का परीक्षण किया गया जिसके अनुसार आवासीय क्षेत्र 69 प्रतिशत था जो नियमानुसार 60 प्रतिशत होना चाहिए था। अतः निदेशक-आयोजना द्वारा समिति को 60 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र का प्लान समिति के समक्ष पेश किया गया। जिस पर निर्णय लिया गया कि निदेशक-आयोजना द्वारा संशोधित नक्शा अनुमोदित किया जाता है परन्तु यदि ऊर्जा विहार के सदस्य अपने स्तर पर 60 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र का प्रावधान रखते हुए दूसरा ले-आऊट प्लान प्रस्तुत करना चाहें तो वे उसके लिए स्वतंत्र हैं।


निदेशक-आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर